

## मुस्लिम बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देगा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [ऑल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉ बोर्ड](#) ने [सर्वोच्च न्यायालय \(Supreme Court- SC\)](#) के उस नरिणय को चुनौती देने की अपनी योजना की घोषणा की है, जिसमें [तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं](#) को 'इद्दत' अवधि के बाद [भरण-पोषण](#) का दावा करने की अनुमति दी गई है।

- बोर्ड, उत्तराखंड में नव अधिनियम [समान नागरिक संहिता \(Uniform Civil Code- UCC\)](#) कानून को भी चुनौती देने का इरादा रखता है।

### मुख्य बद्दि:

- ये नरिणय कार्यसमिति की बैठक के दौरान लयि गए, जिसके तहत आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
- इनमें से एक प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के उस नरिणय से संबंधित है, जो [शरिया कानून](#) का खंडन करता है।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला दयिा कि [दंड प्रक्रिया संहिता \(Code of Criminal Procedure- CrPC\) की धारा 125](#) मुस्लिमों सहित सभी वविहति महिलाओं पर लागू होती है।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दयिा कि [भारतीय पुरुषों को संयुक्त खाते और ATM तक नरिबाध पहुँच](#) जैसी अटूट ववित्तीय सहायता प्रदान करके [गृहणियों के महत्त्व](#) को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहयि।
- बोर्ड इस बात पर प्रकाश डालता है कि वविधिता हमारे देश की पहचान है, जो [संवधान](#) द्वारा संरक्षित है। [समान नागरिक संहिता \(UCC\)](#) का उद्देश्य संवधानिक और धार्मिक दोनों स्वतंत्रताओं को चुनौती देते हुए इस वविधिता को मटाना है
- वधिक समिति [उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून](#) को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

### CrPC की धारा 125

- CrPC की धारा 125 के अनुसार, [प्रथम श्रेणी मजस्ट्रेट पर्याप्त साधन संपन्न किसी व्यक्तिको नमिनलखिति के भरण-पोषण के लयि मासिक भत्ता देने का आदेश](#) दे सकता है:
- उसकी पत्नी, यदविह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- उसकी वैध या अवैध नाबालगि संतान, चाहे वह वविहति हो अथवा नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है
- उसकी वैध या अवैध नाबालगि संतान जो शारीरिक या मानसिक वकृतियों अथवा आघात के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- उसका पति या माता, खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

### इद्दत अवधि

- एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से [उचित एवं न्यायसंगत भरण-पोषण पाने की हकदार](#) है, जिसका भुगतान [इद्दत अवधि](#) के भीतर कयिा जाना चाहयि।
- [इद्दत एक अवधि है, जो आमतौर पर तीन महीने की होती है](#), जिसि एक महिला को अपने पतिकी मृत्यु या तलाक के बाद दोबारा शादी करने से पहले मनाना होता है।